आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

4.21

न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा

विविध वाद सं0– 45 / 2020–21

पिंकी कुमारी
बनाम
राज्य

आदेश

यह वाद माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा W.P(S)N0.4760 of 2019 में दिनांक 04 / 11.6.2019 को पारित आदेश के अलोक में आवेदिका पिंकी कुमारी पति–बिरेन्द्र कुमार ग्राम–सोनदाग थाना–रंका जिला–गढ़वा की ओर से दिया गया आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है । वाद का विषय वस्तु प्रखंड रंका अन्तर्गत ग्राम–सोनदाग आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 पर सेविका का चयन से संबंधित है ।

आवेदिका पिंकी कुमारी का आवेदन है कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम–सोनदाग थाना–रंका के आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 पर सेविका के रूप में योग्यता एवं बरियता के आधार पर दिनांक 16.7.2019 को मेरा चयन हुआ एवं नियुक्ति पत्र भी दिया गया परन्तु उक्त पद के अन्य उम्मीदवार अंजू कुमारी पति राजेश कुमार जो बाल श्रमिक विद्यालय सोनदाग में शिक्षिका के रूप में पदस्थापित है , की ओर से चयन के विरूद्ध उप विकास आयुक्त गढ़वा को आवेदन पत्र दिया गया । उक्त आवेदन के आधार पर मुझे सूचित किया गया कि चयन समिति की पुनः बैठक होगी । तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची में मेरे द्वारा W.P(S)N0.4760 of 2019 याचिका दाखिल किया गया।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सुना एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन वो संबंधित संचिका का अवलोकन किया ।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क के कम में मौखिक समर्पण किया गया कि विधिवत् आम सभा का अयोजन कर आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 के लिए पिंकी कुमारी जो इस वाद के आवेदिका है, को सेविका के रूप में चयन कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया गया था । परन्तु उप विकास आयुक्त गढ़वा द्वारा अनुमोदन के कम मे अंजु कुमारी का एम0ए0 में अंक ज्यादा होने के कारण आम सभा मे अपनायी गई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया । तर्क में आगे उनका यह भी कहना है कि यद्यपि कि अंजु कुमारी का एम0ए0 में अंक अधिक है फिर भी वे स्वयं सेविका के पद पर कार्य करने एवं गुरूकुलम मे शिक्षका के रूप में कार्य करने के चलते आम सभा में उनके आवेदन पर विचार नही किया गया एवं पिंकी कुमारी को सर्व सम्मति से सेविका के रूप में चयन किया गया है । तर्क में उनके द्वारा आम सभा में पिंकी कुमारी को सेविका के पद पर किया गया चयन को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया ।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 सेविका पद के चयन हेतु कुल पॉच आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें ममता कुमारी एवं मंजु कुमारी की योग्यता आई0ए0,रिंकी देवी की योग्यता बी0ए0 तथा अंजु कुमारी एवं पिंकी कुमारी की योग्यता एम0 ए0 है । आगे उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अंजु कुमारी का एम0 ए0 में पिंकी कुमारी से अधिक अंक रहने के बावजुद भी यह

दर्शाते हुए कि अंजु कुमारी अन्यत्र कार्यरत हैं, आम सभा में पिंकी कुमारी का चयन कर अनुमोदन हेतु उप विकास आयुक्त गढ़वा के समक्ष संचिका उपरस्थापित किया गया था जिसमें अपनायी गई नियुक्ति प्रकिया को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया गया ।

इस प्रकार आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता एवं जिला समाज कलयाण पदाधिकारी गढ़वा को सुनने वो उनसे प्राप्त प्रतिवेदन तथा प्राप्त संबंधित संचिका के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि आंगन बाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 पर सेविका पद पर चयन हेतु दिनांक 16.7.2019 को सम्पन्न आम सभा में प्राप्त पांच आवेदन पत्र में अंजु कुमारी एवं पिंकी कुमारी की योग्यता एम0 ए0 है जिसमें अंजु कुमारी का एम0 ए0 में पिंकी कुमारी से अधिक अंक रहने के बावजुद भी अंजु कुमारी को अन्यत्र कार्यरत रहने का आधार बनाते हुए पिंकी कुमारी को चयन किया गया है जो सेविकाओं/सहायिकाओं के चयन प्रकिया के प्रतिकुल है । इस स्थिति मे उप विकास आयुक्त गढ़वा द्वारा संबंधित संचिका में आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 पर सेविका पद पर चयन करने संबंधी अपनायी गई प्रकिया को रद्द करने संबंधी निहित आदेश नियमानुकूल एवं विधि संगत प्रतीत होता है ।

फलतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदिका पिंकी कुमारी का दावा को खारीज करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा को निदेश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविकाओं/सहायिकाओं के चयन के संदर्भ में निर्गत विभागीय निदेश को दृष्टिगत करते हुए पुनः आम सभा का आयोजन काराकर आंगनबाड़ी केन्द्र सोनदाग–1 के लिए सेविका के पद पर विधिवत चयन करना सुनिश्चित करेगें ।

आदेश की प्रति जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा को अनुपालनार्थ भेजें ।

लेखापित एवं संशोधित

16/4/21

उपायुक्त – सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढवा

16/4/21

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 13:03:17 +05:30
Location: 192.168.31.7